

राजस्थान सरकार
निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.7(वि.जाँ.) / 2025-26 /

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 340-357 दिनांक 07.01.2026 द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, श्रीगंगानगर में आर.टी.ई के तहत निजी विद्यालयों को वर्ष 2024-25 में किये गये भुगतान में अनियमितताओं की विशेष जांच हेतु विशेष जांच दल का गठन किया गया था तथा श्री अमर सिंह मूंड, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को विशेष जांच दल प्रभारी के रूप में लगाया गया था।

श्री अमर सिंह मूंड, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 दिनांक 19.01.2026 से 02.02.2026 तक चिकित्सा अवकाश पर होने के कारण श्री विष्णु कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को जांच दल सदस्य के रूप में लगाया जाता है तथा श्री विष्णु कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 श्री अमर सिंह मूंड के अवकाश से लौटने तक विशेष जांच दल प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे।

52
(कीर्ति जैन)
निदेशक

क्रमांक: एफ.7(वि.जाँ.) / 2025-26 / 1174-1184

दिनांक :- 19/1/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, संभाग बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, श्रीगंगानगर।
4. प्रभारी, आंतरिक जांच शाखा/भौतिक सत्यापन/संस्थापन/लेखा/रोकड़ शाखा।
5. श्री अमर सिंह मूंड, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1
6. संबंधित श्री विष्णु कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार विशेष जांच कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
7. सूचना सहायक, निदेशालय, निरीक्षण विभाग, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रभारी, विशेष जांच दल को ई-मेल द्वारा भिजवाया जाना एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

(स्मिता सीरीन)

अतिरिक्त निदेशक (अंकेक्षण)